भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1146
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

ग्रामीण न्यायालय

1146. श्री जुएल ओराम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश भर में स्थापित ग्रामीण न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) ओडिशा में स्थापित ग्रामीण न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का ऐसे और न्यायालय स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया किया है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। तथापि, अधिनियम ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने के लिए आज्ञापक नहीं बनाता है । अंतिम तीन वर्षों के दौरान ओडिशा सहित देश भर में स्थापित ग्राम न्यायालयों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	**संपूर्ण देश में**		**ओडिशा**	
	अधिसूचित	परिचालित	अधिसूचित	परिचालित
2019 तक	353	221	22	16
2020	42	04	0	0
2021	07	0	0	0

2022	74	32	1	3
2023 (05.12.2023 को)	03	27	1	1
कुल	**479**	**284**	**24**	**20**

(ग) और (घ) : संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचालय के लिए या जिला में मध्यवर्ती स्तर पर संलग्न पंचायतों के समूह या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, संलग्न ग्राम पंचायत के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम पंचायत स्थापित कर सकेगी । इस प्रकार से, यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे और अधिक न्यायालय स्थापित करें ।

****